

सं० 27/10/2013-एस०आर०एस०  
भारत सरकार  
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

तीसरा तल, लोकनायक भवन  
खान मार्केट, नई दिल्ली ।  
दिनांक 18 दिसम्बर, 2013

18 DEC 2013

सेवा में,

मुख्य सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन  
सचिवालय, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश ।

मुख्य सचिव  
उत्तराखण्ड शासन  
सचिवालय, देहरादून  
उत्तराखण्ड ।

विषय:- दिनांक 18.09.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की संस्तुति की अनुपालन में अनुसूचित जाति के आधार पर कृषि विभाग के कार्मिकों का उत्तराखण्ड राज्य से उत्तर प्रदेश राज्य आवंटन पर विचार ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति के आधार पर कृषि विभाग के निम्न लिखित कार्मिकों से उत्तर प्रदेश राज्य पुनरावंटन हेतु प्राप्त आवेदन पर परामर्शी समिति की दिनांक 18.09.2013 को आयोजित बैठक में विचार किया गया । समिति की संज्ञान में लाया गया कि यह सभी पर्वतीय उप संवर्ग के कार्मिक हैं । पर्वतीय उप संवर्ग के कार्मिक अनुसूचित जाति के आधार पर राज्य पुनरावंटन के पात्र न होने के कारण समिति द्वारा उनके आवेदन निरस्त किये जाने कि संस्तुति की गई :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम/संवर्ग
1.	सर्व श्री	
2.	अजीत सिंह सचान	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-2
3.	रमेश प्रसाद	सहायक कृषि अधिकारी
4.	राम कुमार	-वही-
5.	उमा शंकर पाल	-वही-
	अजय कुमार	मुख्य कृषि अधिकारी

2. भारत सरकार परामर्शी समिति की उपर्युक्त संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार उपर्युक्त कार्मिकों का अंतिम आवंटन उत्तराखण्ड राज्य के लिये बना रहेगा ।

3. कार्मिकों को इस निर्णय के बारे में सूचित किया जाए ।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

- श्री अशोक घोष, प्रमुख सचिव, उ०प्र० पुनर्गठन समन्वय विभाग, 46, बहुखण्डी भवन, सचिवालय, लखनऊ ।
- श्रीमती हेमलता ढौंडीयाल, सचिव, उत्तराखण्ड पुनर्गठन विभाग, सचिवालय, देहरादून ।

